मूलवाद सं0–181/2018

धर्मेन्द्र कुमार आदि बनाम हरपाल सिंह आदि

30.05.2019

पत्रावली पेश हुई। वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 24ग हेतु नियत है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 24ग :– प्रार्थनापत्र 24ग द्वारा प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद मं प्रार्थीगण के पति/पिता वादी सं0–3 होते थे, उनकी मृत्यु दिनांक 02.11.2018 को हो गयी है। प्रार्थीगण सीधे–साधे कानून के नाजानकार व्यक्ति हैं। प्रार्थीगण को उपरोक्त वाद में जानकारी भी नहीं थी तथा प्रार्थी अमित कुमार की असमय मृत्यु होने से शोकग्रस्त होने के कारण देर से वाद की सम्बन्ध में जानकारी होने के कारण समय से प्रार्थनापत्र नहीं दे सके। प्रार्थीगण को उपरोक्त वाद की जानकारी दिनांक 30.04.2019 को गांव में चर्चा होने पर हुई। जानकारी होते ही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है तथा जो देरी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुई है व सद्भावना पूर्वक है। न्यायहित में धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त कथन करते हुए धारा–5 मियाद अधि0 का लाभ प्रदान करते हुए वाजवे नम्बर प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति 30ग प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र दिनांकित 01.05.2019 कतई खिलाफ कानून, खिलाफ वाकयात मनगढन्त एवं झूठे तथ्यों पर आधारित है। वादी सं0–3 अमित कुमार की मृत्यु दिनांक 02.11.2018 को होना स्वीकार है लेकिन सुधा रानी ने अन्दर मियाद प्रार्थनापत्र प्रस्तुत क्यों नहीं किया इसका कोई युक्तियुक्त कारण सुधा देवी ने अपने प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र से स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थनापत्र के साथ कोई चिकित्सक का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कथन करते हुए प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी ने मृतक अमित कुमार वादी सं0–2 के बावत उसके वारिसान को फरीक मुकदमा बनाने का प्रार्थनापत्र देने में बिलम्ब हो गया है। क्यों कि प्रार्थिनी कानून की नाजानकार है । जिस कारण वह वाद में समयान्तर्गत प्रतिस्थापना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत न कर सकी। माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से सुस्थापित सिद्धान्त उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है जहॉ तक बिलम्ब का प्रश्न है तो उसकी क्षतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 24ग अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधि0 200/–रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थनापत्र 22क पुनः पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
ठाकुरद्वारा।

पुनः पेशः–

पत्रावली पुनः पेश हुई। उभय पक्ष को प्रार्थनापत्र 22क पर सुना गया। निस्तारण 22क हेतु लंच बाद पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
ठाकुरद्वारा।

लंच बाद

निस्तारण प्रार्थनापत्र 22कः–

प्रार्थनापत्र 22क द्वारा प्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी सं0–3 अमित कुमार की मृत्यु दिनांक 02.11.2018 को हो गयी है। प्रार्थीगण मृतक के कानूनी वारिस हैं। प्रार्थीगण को मृतक अमित कुमार के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाकर वादपत्र को संशोधित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन से वादपत्र की प्रकृति पर असर नहीं पड़ेगा। प्रार्थीगण कानून के नाजानकार व अमित कुमार की असमय मृत्यु हो जाने पर शोकग्रस्त होने के कारण समय से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं कर सके।

प्रस्तावित संशोधन

वादपत्र के उन्वान में वादी सं0–3 के आगे ''दौराने वाद मृत्यु हो गयी है'' लिखा जाए। वादी सं0–3 के स्थान पर 3/1 श्रीमती सुधा देवी पत्नि स्व0 अमित कुमार आयु लगभग 41 वर्ष । 3/2 आदर्श पुत्र स्व0 अमित कुमार आयु लगभग 20 वर्ष। 3/3 निखिल भारद्वाज पुत्र स्व0 अमित कुमार नाबालिग आयु लगभग 13 वर्ष द्व ारा वादपत्र श्रीमती सुधा देवी पत्नि स्व0 अमित कुमार। 3/4 निशान्त भारद्वाज पुत्र स्व0 अमित कुमार नाबालिग आयु लगभग 11 वर्ष द्वारा वादमित्र श्रीमती सुधा देवी (सगी माता) पत्नी स्व0 अमित कुमार समस्त निवासीगण ग्राम महुवा डावरा तहसील जसपुर उधम सिंह नगर'' लिखा जाए।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य विदित हुआ कि वादी सं0–3 की मृत्यु दिनांक 02.11.2018 को हो गयी थी, प्रार्थनापत्र 24 ग अन्तर्ग्रत धारा–5 मियाद अधिनियम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी का मृतक के वारिसान पर वाद चलाने का अधिकार बनता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से सुस्थापित सिद्धान्त उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है जहॉ तक बिलम्ब का प्रश्न है तो उसकी क्षतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 22क स्वीकार किया जाता है, तदानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है प्रार्थनापत्र के प्रकाश में हर्जा अदा कर संशोधन अन्दर सप्ताह करें पत्रावली नियत दिनांक 15.07.2019को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
ठाकुरद्वारा